संचिका संख्या– प्र08–गो0आ0(मधेपुरा)–17/2024

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

।। आदेश ।।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहे श्री शशि भूषण कुमार, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा सम्प्रति सेवानिवृत (बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग) के विरूद्ध अपने कार्यो के प्रति लापरवाही बरतने, वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेशों का ससमय अनुपालन नहीं करने, जिला नियंत्रण कक्ष को समुचित ढंग से नहीं चलाये जाने, किरासन आपूर्ति के संबंध में विलंब से संचिका उपस्थापित करने के साथ–साथ गलत तथ्य/सूचना प्रतिवेदित करने, जन वितरण प्रणाली दुकानों की कोटिवार आरक्षण रोस्टर तैयार करने में विलंब किये जाने जिसके फलस्वरूप जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की नियुक्ति ससमय नहीं हो पाने तथा कर्त्तव्यहीनता एवं आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल होने जैसे प्रतिवेदित आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक–36 दिनांक–11.01.2025 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–193395 दिनांक–21.01.2025 द्वारा श्री कुमार से लिखित बचाव बयान/स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

उक्त के क्रम में दिनांक–04.02.2025 को श्री कुमार ने अपना लिखित बचाव बयान विभाग को समर्पित करते हुए अपने विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप का खंडन कर मुख्य रूप से अंकित किया है कि मेरे पदस्थापन अवधि में विभाग एवं वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश एवं आवंटित कार्य का सही तरीके से अनुपालन करते हुए ससमय किया गया है। जन वितरण प्रणाली दुकान की रिक्ति संबंधी आरक्षण रोस्टर की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त उन्हें त्रुटि निराकरण हेतु आरक्षण रोस्टर की प्रति वापस की गई। त्रुटि निराकरण कर रोस्टर की प्रति वापस करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी से कई बार अनुरोध किया गया, परन्तु दिनांक–08.12.2023 तक सम्प्रति अप्राप्त रहा। इस कार्य का सतत् एवं सघन अनुश्रवण मेरे द्वारा किया गया, परन्तु असहयोगात्मक रवैया के कारण रिक्ति के प्रकाशन में विलंब का सामना करना पड़ा। जहाँ तक जिला नियंत्रण कक्ष को समुचित ढंग से नहीं चलाने तथा दिनांक–21.10.2023 को खोजबीन करने के क्रम में अनुपस्थित पाये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में विदित हो कि समय अवधि के अन्दर मेरे द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को स्पष्टीकरण समर्पित कर अवगत कराया गया है। माह नवम्बर, 2023 का आवंटित किरासन तेल का कम्पनीवार कोटा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के मेल पर दिनांक–09.11.2023 को ही भेजा गया। संचिका उपस्थापन में मेरे स्तर से कोई विलंब एवं लापरवाही नहीं बरती गई है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण/बचाव बयान तथा उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एक तरफ श्री कुमार का यह कहना कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश एवं आवंटित कार्य का ससमय अनुपालन करता आया हूँ। वहीं दूसरी ओर इनके द्वारा दिनांक–08.11.2023 को जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को समर्पित स्पष्टीकरण में स्वयं अंकित किया है कि समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन मेरे द्वारा समय अभाव में नहीं किया जा सका है, जिसके लिए मुझे अत्यन्त खेद है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिना अवलोकन के कोई भी प्रतिवेदन अपने वरीय पदाधिकारियों के समक्ष समर्पित किया जाना लापरवाही को दर्शाता है। यद्यपि श्री कुमार का यह कहना कि जन वितरण प्रणाली दुकान की कोटिवार आरक्षण रोस्टर तैयार करने में मेरे द्वारा सतत् एवं सघन अनुश्रवण किया गया है। तदापि दिनांक–01.09.2023 को जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मासिक बैठक में दिये गये निदेश के बावजूद जन वितरण प्रणाली दुकान की आरक्षण रोस्टर पर माह दिसम्बर, 2023 तक जिला पदाधिकारी के अनुमोदनार्थ संचिका उपस्थापित नहीं की जा सकी, जिससे परिलक्षित होता है कि इनके द्वारा सतत् अनुश्रवण एवं अपने कार्यो के प्रति सजग नहीं थे। ज्ञातव्य हो कि जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा के पत्रांक–2466 दिनांक–09.08.2023 द्वारा भी संचिका अनावश्यक रूप से अपने पास रखे रहने/विलंब करने के लिए श्री कुमार को जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर चेतावनी भी दी गयी थी। उक्त के अतिरिक्त जिला नियंत्रण

संचिका संख्या– प्र08–गो0आ0(मधेपुरा)–17 / 2024

कक्ष में वरीय पदाधिकारियों द्वारा खोजबीन के क्रम में अनुपस्थित पाये जाने एवं किरासन तेल उठाव संबंधित संचिका विलंब से उपस्थापित करने तथा गलत सूचना प्रतिवेदित करने के लिए जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक–10.11.2023 को श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इनके द्वारा समुचित जवाब समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए श्री कुमार का वेतन भी स्थगित किया गया, जो इनकी कर्त्तव्यहीनता तथा उदासीनता को दर्शाता है। फलतः श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है तथा इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शशि भूषण कुमार, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा सम्प्रति सेवानिवृत (बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग) के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के संगत प्रावधानों के तहत 03 वर्षो के लिए 10 प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड संसूचित करते हुए प्रस्तुत प्रक्रम को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री शशि भूषण कुमार, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा सम्प्रति सेवानिवृत (बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग) के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के संगत प्रावधानों के तहत 03 वर्षो के लिए 10 प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड संसूचित करते हुए प्रस्तुत प्रक्रम को समाप्त किया जाता है।

Signed by
Upendra Kumar
Date: 07-04-2025 10:06:16
(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधेपुरा / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 / आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री शशि भूषण कुमार (सेवानिवृत जिला आपूर्ति पदाधिकारी), पत्राचार पता–संध्या हाईट्स, गैस गोदाम गली, जकरियापुर, पो0–शाखा डाकघर, पहाड़ी पटना, थाना–रामकृष्णा नगर, जिला–पटना, पिन–800007, मोबाईल संख्या–9570349252 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।